



OCCL LIMITED

14th Floor, Tower-B, World Trade Tower, Plot No. C-1, Sector-16, Noida - 201301, UP
Phone : 91-120-4744800 Email : occlnoida@occlindia.com
Website : www.occlindia.com



March 24, 2026

The Manager
BSE Limited
Department of Corporate Services
Floor 25, P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai – 400001
Scrip Code : 544278

The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400051
Scrip Code : OCCLLTD

Dear Sir/Madam,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Initiation of Anti-Dumping Duty Absorption Review

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform that the Directorate General of Trade Remedies (DGTR), Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has issued an initiation notification dated 20 March 2026 (Case No. AD (AA)-02/2026) notified in e-Gazette on 24 March 2026 (copy attached) with respect to an anti-dumping duty absorption review concerning imports of “Insoluble Sulphur” originating in or exported from China PR.

The review has been initiated pursuant to an application filed by the Company, i.e. OCCL Limited, a domestic producer, alleging absorption of existing anti-dumping duty on the subject goods, thereby rendering such duty ineffective.

The said review has been initiated under Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 29(2) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

At this stage, there is no immediate material impact of the notification on the financial or operational performance of the Company. The Company will actively participate in the review proceedings, as may be required, and take appropriate steps to safeguard its interests.

We shall keep the stock exchanges informed of any further material developments in this regard.

Kindly take the above information on record.

Yours Sincerely,
For **OCCL Limited**

Pranab Kumar Maity
Company Secretary & GM- Legal
Encl.: As above.

Registered Office:

Survey No. 141,
Paiki of Mouje, APSEZL,
Mundra, Kachchh,
Gujarat, India, 370421
CIN: L24302GJ2022PLC131360

Plants:

Plot No. 3 & 4 Dharuhera Industrial Estate, Phase – 1
Dharuhera – 123106, Distt. Rewari, (Haryana)

SEZ Division: Survey No. 141, Paiki of Mouje Villag, Mundra, Taluka
Mundra, Mundra SEZ, District Kutch, Gujarat, 370421



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032026-271221
CG-DL-E-24032026-271221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 83]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

मामला सं. एडी - (एए)-02/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "इनसोलुबल सल्फर" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलन-रोधी जांच की शुरूआत।

1. फा. सं. 7/03/2026-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' या 'पाटनरोधी नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, ओसीसीएल लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 'इनसोलुबल सल्फर' (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन का आरोप लगाया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 29 (2) के अनुसार, जहाँ कोई वस्तु जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी शर्तों के अंतर्गत आयात की जाती है जिसे वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के समामेलन के रूप में माना जाता है, जिसके कारण वह शुल्क निष्प्रभावी हो जाता है या हो सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करते हुए समीक्षा करने के बाद पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप या आधार में संशोधन तथा/या पाटनरोधी शुल्क की राशि में परिवर्तन की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अनुसार, प्राधिकारी को पर्याप्त साक्ष्य सहित आवेदन जो घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया हो, के आधार पर, समीक्षा करनी आवश्यक है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क, उसके समामेलन के कारण निष्प्रभावी हो गया है या हो सकता है।

क. **पृष्ठभूमि**

3. चीन जनवादी गणराज्य और जापान से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जाँच अधिसूचना संख्या 6/01/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 मार्च 2024 के माध्यम से शुरू की गई थी। इस जाँच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने दिनांक 7 मार्च 2025 के अंतिम जाँच परिणाम फा.सं. 06/01/2024- डीजीटीआर के माध्यम से, चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल के या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 जून 2025 के माध्यम से अनुशंसित शुल्क लागू किए। उक्त शुल्क, जब तक कि किसी समीक्षा के अनुसरण में विस्तारित न किए जाएं, 6 जून 2030 तक प्रभावी रहेंगे। नीचे दी गई तालिका अधिसूचना संख्या 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 06 जून 2025 के अनुसार लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का सारांश प्रस्तुत करती है:-

क्र. सं.	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि (.डा.अम/एमटी)
1	चीन जन.गण .	चीन सहित कोई अन्य देश	कोई	307
2	चीन और जापान से इतर कोई देश	चीन जन.गण .	कोई	307
3	जापान	जापान	शिकोकू कैमिकल्स कार्पोरेशन	259
4	जापान	जापान सहित कोई अन्य देश	इन्सॉल्युबल सल्फर से इतर कोई	358
5	जापान और चीन से इतर कोई देश	जापान	कोई	358

ख. **विचाराधीन उत्पाद**

4. 'विचाराधीन उत्पाद' जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, के कार्यक्षेत्र को प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7 मार्च 2025 को अधिसूचित अंतिम जाँच परिणाम फा. सं. 06/01/2024-डीजीटीआर में निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया था:
- "2. विचाराधीन उत्पाद "इन्सॉल्युबल सल्फर" है, जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" के रूप में भी उल्लिखित किया गया है।
3. परिभाषा के अनुसार, इन्सॉल्युबल सल्फर एक बहुलक सल्फर है जो कार्बन डाइसल्फाइड (सीएस₂) में अघुलनशील है। इन्सॉल्युबल सल्फर का उपयोग आमतौर पर कुछ रबर अनुप्रयोगों में 'वल्कनीकरण एजेंट' के रूप में किया जाता है ताकि 'ब्लूमिंग' की समस्या को रोका जा सके, जो रबर कंपाउंड के लिए हानिकारक होती है।
4. इन्सॉल्युबल सल्फर एक महत्वपूर्ण रबर एडिटिव एजेंट है। यह उत्पाद की गुणवत्ता, घिसावट प्रतिरोध तथा थकान और पुराना होने के प्रति प्रतिरोध क्षमता में सुधार करता है। सार्वभौमिक रूप से सर्वश्रेष्ठ वल्कनीकरण एजेंट के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ, इसका व्यापक रूप से टायर, ट्रीड, जूते, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल रबर पुर्जों और अन्य रबर उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अतः, अपने गैर-ब्लूमिंग गुण के कारण, इन्सॉल्युबल सल्फर का व्यापक रूप से उन रबर उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है जिनमें सामान्य सल्फर का उच्च अनुपात में उपयोग होता है। अंतिम-उपयोगकर्ता उद्योग के आधार पर, भारत में इन्सॉल्युबल सल्फर की कुल खपत का 90% से अधिक हिस्सा टायर उद्योग में और शेष

गैर-टायर उद्योग में उपयोग किया जाता है। माप की इकाई उत्पाद का वजन है जिसे किलोग्राम (किग्रा) में अंकित किया गया है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2802 00 10 और 3812 39 30 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद का आयात टैरिफ मद 3824 99 00 के तहत भी किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और इस जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं।”

5. चूंकि वर्तमान आवेदन लागू पाटनरोधी शुल्क की 'पाटनरोधी शुल्क की समामेलनरोधी समीक्षा' है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जाँच में परिभाषित किया गया था।

ग. समान वस्तु

6. मूल जाँच में यह पाया गया कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानकों के संदर्भ में तुलनीय हैं। आयातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु दोनों को प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर होता हुआ पाया गया है। अतः वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

घ. आवेदक

7. वर्तमान आवेदन ओसीसीएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु एक एकमात्र उत्पादक है। इसके अलावा आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है। नियमावली के अर्थ के भीतर आवेदक घरेलू उद्योग का गठन करता है। रिकार्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और आवेदन नियम 29 के अनुसार दायर किया गया है।

ङ. समीक्षा का दायरा

8. वर्तमान समामेलन रोधी समीक्षा जाँच चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों से संबंधित है।

च. समामेलन समीक्षा जाँच के आधार

9. आवेदकों ने दावा किया है कि वर्तमान समामेलन जाँच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, मूल जाँच की जाँच अवधि की तुलना में, उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है। आवेदकों ने यह भी बताया है कि यद्यपि वर्तमान समामेलन जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री की कीमतों और उपयोगिता दरों में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ी है, इसके बावजूद संबद्ध देश से भारत को विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत में वास्तव में गिरावट आई है।

10. आवेदक ने प्रथम दृष्टया सूचना भी दी है जो पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि दर्शाती है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रथम दृष्टया उत्पादन लागत में समानुपातिक कमी के बिना निर्यात कीमत में गिरावट को दर्शाती है, जो पाटनरोधी शुल्कों के समामेलन और इसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन में वृद्धि को दर्शाता है।

11. नियमावली के नियम 29(3) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर समामेलन रोधी समीक्षा शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। वर्तमान मामले में, पाटनरोधी उपाय 6 जून 2025 को लागू किए गए थे। समामेलन रोधी जाँच शुरू करने का अनुरोध करने वाला आवेदन पाटनरोधी शुल्क लगाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर अर्थात् दिसंबर 2025 में दायर किया गया था। तथापि, आवेदक ने बाद में समामेलन की अवधि को (जून 2025 - नवंबर 2025) से अद्यतन कर (जुलाई 2025 - दिसंबर 2025) कर दिया।

छ. समामेलन अवधि

12. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ समामेलन की अवधि पर जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 (6 माह की अवधि) के रूप में विचार किया गया है। प्राधिकारी उक्त अवधि की कीमतों की तुलना मूल जाँच की जाँच अवधि की कीमतों के साथ करेंगे।

13. लागू कार्यवाही के जांच करने पर यह नोट किया गया कि समामेलन-रोधी समीक्षा के लिए 12 माह की अनिवार्य जांच अवधि निर्धारित करने की कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि अवधि का निर्धारण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। तदनुसार, प्रस्तावित 6 माह की अवधि को वर्तमान जांच के लिए उपयुक्त माना गया है।

ज. **समामेलन-रोधी समीक्षा जांच की शुरुआत**

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर तथा चीन जनवादी गणराज्य से आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के उपरांत, प्राधिकारी, एतद्वारा, अधिनियम की धारा 9क(1ख) तथा नियमावली के नियम 30 के अनुसार, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की मौजूदगी एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि या स्वरूप में संशोधन की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ समामेलन-रोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

15. आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे केंद्र सरकार से नियम 31(3) के अनुसार, जांच शुरुआत होने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क की राशि या स्वरूप में संशोधन करने की सिफारिश करें। इस विषय पर हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

16. उक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 30(5) के अनुसार इस समीक्षा के पूर्ण होने तक विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों के अनंतिम आकलन की सिफारिश करते हैं।

झ. **प्रक्रिया**

17. वर्तमान समीक्षा जांच का दायरा केवल इस बात की जांच तक सीमित है कि क्या चीन में निर्यात कीमत में गिरावट को उत्पादन लागत में गिरावट से और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की परिणामी पुनः गणना से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान समीक्षा जांच में नियमावली के नियम 29, 30 और 31 में यथा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। नियम 6 के प्रावधान यथावश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे।

ञ. **सूचना प्रस्तुत करना**

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र एवं अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला आईडी-एडी/एवीएस/22122025/03 के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फॉर्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

19. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उक्त पैरा (18) में यथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढंग और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच से संबंधित आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीयूसी की पद्धति (यदि कोई हो), किसी अन्य चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों से अवगत रहें।

ट. समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी- एडी/एवीएस/22122025/03 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।
25. समय-सीमा बढ़ाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उक्त पैराग्राफों में उल्लिखित मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. वर्तमान जांच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
29. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
32. हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों के अगोपनीय अंश को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
33. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ढ. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या समीक्षा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2026

Case No. AD (AA)-02/2026

Subject: Anti-absorption review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of "Insoluble Sulphur" originating in or exported from China PR

1. **F. No. 7/03/2026-DGTR**— Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “AD Rules”), OCCL Limited (hereinafter also referred to as the “applicant” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), alleging absorption of anti-dumping duty imposed on imports of “Insoluble Sulphur” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “subject country”).
2. In terms of Section 9A(1B) of the Act and Rule 29 (2) of the Rules, where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of the existing anti-dumping duty, and such duty is thereby rendered or maybe rendered ineffective, the Designated Authority may, after conducting review, recommend modification in the form or basis of the anti-dumping duty and/or the quantum of anti-dumping duty or both after reassessing the dumping margin and injury margin. In accordance with the same, the Authority is required to review, based on an application made with sufficient evidence, made by or on behalf of the domestic industry or any other interested party as to whether the existing anti-dumping duty is thereby or may be rendered ineffective because of absorption of duty.

A. BACKGROUND

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the China PR and Japan was initiated *vide* Notification No. 6/01/2024-DGTR dated 27 March 2024. Pursuant to the investigation, the Authority, through its final findings issued *vide* F. No. 06/01/2024-DGTR dated 7 March 2025, recommended the imposition of anti-dumping duties on imports of the subject goods originating in or exported from China PR and Japan for a period of five years. The Ministry of Finance subsequently implemented the recommended duties *vide* Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6 June 2025. The said duties, unless extended pursuant to a review, are scheduled to remain in force until 6 June 2030. Table below summarises the existing anti-dumping duties in force pursuant to Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 06 June 2025:

S. No.	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount (MT/USD)
1	China PR	Any other country including China	Any	307
2	Any country other than China and Japan	China PR	Any	307
3	Japan	Japan	Shikoku Chemicals Corporation	259
4	Japan	Any other country including Japan	Any other than Insoluble Sulphur	358
5	Any country other than Japan and China	Japan	Any	358

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The scope of product under consideration attracting the anti-dumping duties was specified as follows in the final findings notified by the Authority *vide* F. No. 06/01/2024-DGTR dated 7 March 2025:

“2. *The product under consideration is the “Insoluble Sulphur” hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”).*

3. *Insoluble sulphur by definition, is a polymeric sulphur which is insoluble in carbon disulphide (CS₂). Insoluble Sulphur is generally used as a vulcanization agent in some rubber applications in order to resist the blooming phenomenon which is detrimental to rubber compound.*

4. *Insoluble sulphur is an important rubber additive agent. It improves product quality, wearability and resistance to both fatigue and ageing. In addition to being universally recognized as the best vulcanizing agent, it is widely used in the manufacture of tire, tread, shoes, all kinds of automobile rubber parts and other rubber products. Therefore, due to its non-blooming characteristic, insoluble sulphur is widely used in the manufacture of rubber products in which common sulphur is incorporated in high proportion. Based on the end-user industry, out of the total consumption of insoluble sulphur in India, more than 90% is used in the tyre industry and the remaining is used in non-tyre industry. The unit of measurement considered is weight of the product reported in kilograms (Kg).*

5. *The product under consideration is classifiable under tariff item 2802 00 10 and 3812 39 30 of the first schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. The product under consideration is also imported under tariff item 3824 99 00. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.”*

5. Since the present application is anti-absorption review of anti-dumping duty in force, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

C. LIKE ARTICLE

6. The original investigation revealed that there are no known significant differences in the goods produced by the applicant and that exported from the subject country. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The imported goods and the goods produced by the domestic industry are found to be used interchangeably. Therefore, for the purpose of present review, the subject goods produced by the applicant is being treated as “*like article*” to the subject goods imported from the subject country.

D. APPLICANT

7. The present application has been filed by OCCL Limited. The applicant has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India. Further, the applicant has certified that it has not imported the subject goods nor is related to the exporters from the subject country or importer in India. The applicant constitutes

domestic industry within the Rules. Based on the information on record, it is seen that applicant constitutes domestic industry within the Rules. and the application has been filed in accordance with Rule 29.

E. SCOPE OF THE REVIEW

8. The present anti-absorption review investigation is in respect of imports of the Product Under Consideration from China PR.

F. GROUND FOR AN ABSORPTION REVIEW INVESTIGATION

9. The applicant has claimed that the export price of the product under consideration has significantly declined in the present absorption period of investigation as compared to the period of investigation of the original investigation. The applicant has further stated that although the prices of raw materials and utility prices for the product under consideration have increased in the current absorption investigation period, resulting in a higher cost of production, the export price of the PUC from the subject country to India has, in fact declined.
10. The applicant has also given *prima facie* information showing an increase in the dumping margin and injury margin. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows a decline in the export price without a commensurate decline in the cost of production showing absorption of anti-dumping duties, and a consequent increase in the dumping margin and injury margin.
11. As per the provisions of Rule 29(3) of the Rules, any interested party may file an application seeking initiation of anti-absorption review within two years from the date of imposition of definitive anti-dumping duty. In the present case the anti-dumping measures were imposed on 6 June 2025. The application seeking initiation of the anti-absorption investigation was filed within two years from the date of imposition of the anti-dumping duty i.e., December 2025. However, the applicant later updated the period of absorption from (June 2025 - November 2025) to (July 2025 - December 2025).

G. PERIOD OF ABSORPTION

12. The absorption period for the purpose of the present review has been considered as July 2025 to December 2025 (six-months). The Authority shall compare the prices in the said period to the prices in the period of investigation of the original investigation.
13. On examination of the applicable framework, it is noted that there is no mandatory requirement prescribing a 12-month POI for an Anti- Absorption review as the determination of the period may be based on the facts and circumstances of the case. Accordingly, the proposed 6 months period is considered appropriate for the present investigation.

H. INITIATION OF THE ANTI-ABSORPTION REVIEW INVESTIGATION

14. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having satisfied itself based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the absorption of the anti-dumping duties imposed on the imports from China PR, the Authority, hereby, initiates an anti-absorption review investigation to determine the existence and effect of the absorption of the anti-dumping duty on imports of the product under consideration from subject country and to recommend modification of the quantum or form of the anti-dumping duty, in accordance with Section 9A(1B) of the Act and Rule 30 of the Rules.
15. The applicant has requested the Authority to recommend to the Central Government that the quantum or form of the anti-dumping duty be modified from the date of the initiation of the investigation, in accordance with Rule 31(3) of the Rules. Interested parties may submit their comments on this matter within the time frame specified in this notification.
16. In view of the above, the Authority recommends provisional assessment of all imports of the product under consideration till completion of this review, in accordance with Rule 30(5) of the Rules.

I. PROCEDURE

17. The scope of the present review investigation is confined to examining whether the decline in export prices from China is attributable to a reduction in the cost of production, and to the consequent re-computation of the dumping margin and injury margin. The procedures prescribed under Rules 29, 30 and 31 of the Rules shall be followed in this review investigation. The provisions of Rule 6 shall apply *mutatis mutandis*.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

18. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under

their registered name and corresponding case ID-AD/ABS/22122025/03. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

19. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
20. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within prescribed the time limits.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
22. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PUC methodology (*if any*), any other discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

23. Any information relating to the present investigation must be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under the registered name and corresponding case ID. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
25. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

26. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
27. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
28. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of submission of the non-confidential version of the documents by other interested parties.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

35. All non-confidential version of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. NON-COOPERATION

36. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the review investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority